

चंडीगढ़ द्वारा राज्यसभा सीट की मांग

प्रलिस के लयि:

राज्यसभा, अनुच्छेद 80, संवधान की चौथी अनुसूची, भारतीय संवधान की अनुसूचयिों, नजिी सदस्य वधियक ।

मेन्स के लयि:

नजिी सदस्य वधियक, भारतीय संसद में केंद्रशासति प्रदेशों का प्रतनिधितिव ।

चर्चा में क्योँ?

- हाल ही में चंडीगढ़ नगर नगिम ने संवधान के **अनुच्छेद 80** में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताक उसके पार्षद **राज्यसभा** में एक प्रतनिधि भेज सकें ।
- भारत के संवधान का **अनुच्छेद 80** राज्यों की परषिद की संरचना से संबंघति है जसिे **उच्च सदन (राज्य सभा)** कहा जाता है ।
- अभी तक चंडीगढ़ का राज्यसभा में कोई प्रतनिधितिव नहीं है ।

प्रस्तावति वधियक की मांग:

- बलि (**नजिी सदस्य वधियक**) के द्वारा एक प्रावधान जोड़ने की मांग की गई है जसिके तहत **राज्य परषिद में केंद्रशासति प्रदेश चंडीगढ़ का प्रतनिधि एक नरिवाचक मंडल** द्वारा चुना जाएगा ।
 - नरिवाचक मंडल में संवधान के अनुच्छेद 80 में पंजाब नगर नगिम (चंडीगढ़ तक वसितार) अधनियिम, 1994 के तहत गठति चंडीगढ़ नगर नगिम के नरिवाचति सदस्य शामिल होने चाहयि ।
- **'एंट्री 32, चंडीगढ़'** के साथ संवधान की चौथी अनुसूची में भी संशोधन की मांग की गई है ।
 - इसमें प्रत्येक राज्य और केंद्रशासति प्रदेश से राज्यों की परषिद (राज्यसभा) में प्रतनिधितिव करने वाली सीटों की संख्या शामिल है ।

चंडीगढ़ की स्थति:

- चंडीगढ़ बनिा वधानसभा वाला एक केंद्रशासति प्रदेश है और नमिन सदन या लोकसभा में संसद सदस्य (MP) की एक सीट है ।
- चंडीगढ़ के नविासी प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से हर पाँच साल में एक सांसद का चुनाव करते हैं ।
 - पुदुचेरी, जम्मू-कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली केंद्रशासति प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतनिधितिव है, जबक लददाख, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली-दमन एवं दीव, अंडमान व नकिोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप का उच्च सदन (राज्यसभा) में कोई प्रतनिधितिव नहीं है ।

कानूनी आपत्तयिाँ:

- नरिवाचति नगर नगिम पार्षद उच्च सदन (राज्यसभा) के लयि सदस्य का चयन करने हेतु नरिवाचक मंडल का गठन नहीं कर सकते हैं क्योकयिह नगर नगिम की शक्तयिों से परे है ।
 - वर्ष 1966 से 1990 के बीच दलिली में राज्यसभा के लयि सांसदों का चयन दलिली मेट्रोपॉलिटन काउंसलि के सदस्यों द्वारा कयिा गया था ।
 - महानगर परषिद (Metropolitan Council) और नगर नगिम (Municipal Corporation) में अंतर है ।
 - वधानमंडलों के नरिवाचक मंडल और एमसी पार्षदों के नरिवाचक मंडल में भी अंतर है ।
 - साथ ही चंडीगढ़ में दलिली की तरह कोई वधानसभा नहीं है, जो एक केंद्रशासति प्रदेश भी है, और शहर में एक महानगरीय परषिद का भी अभाव है जो राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद है ।
- साथ ही राज्यसभा सांसद का चयन करना नगर नगिम के कार्यों की सूचीबद्धता के दायरे से बाहर है ।
- नागरकि नकिय (Civic Body) के कार्यों को सूचीबद्ध कयिे गए कार्यों के दायरे से वसितारति कयिा जाना संभव नहीं होगा तथा यह नगर नगिम के ऐसे कसिी भी संवधानकि आदेश के खलिाफ होगा ।

- जैसा कि नागरिक निकाय ने संशोधन को अपनी सहमति दी है, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन इसे आगे वचिर के लिये गृह मंत्रालय को भेजेगा और फरि इसे संसद को भेजा जाएगा ।

नजी सदस्य वधियक:

- संसद के ऐसे सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री (Member of Parliament-MP) नहीं हैं, को एक नजी सदस्य के रूप में जाना जाता है ।
- इसका प्रारूप तैयार करने की ज़म्मेदारी संबंधित सदस्य की होती है । सदन में इसे पेश करने के लिये एक महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है ।
- सरकारी वधियक/सार्वजनिक वधियकों को किसी भी दिन पेश किया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती है, नजी सदस्यों के वधियकों को केवल शुक्रवार को पेश किया जा सकता है तथा उन पर चर्चा की जा सकती है ।
- कई वधियकों के मामले में एक मतपत्र प्रणाली का उपयोग वधियकों को पेश करने के क्रम को तय करने के लिये किया जाता है ।
- नजी सदस्यों के वधियकों और प्रस्तावों पर संसदीय समिति ऐसे सभी वधियकों को देखती है और उनकी तात्कालिकता एवं महत्त्व के आधार पर उनका वर्गीकरण करती है ।
- सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति का सरकार में संसदीय विश्वास या उसके इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- चर्चा के समापन पर वधियक का संचालन करने वाला सदस्य या तो संबंधित मंत्री के अनुरोध पर इसे वापस ले सकता है या वह इसके पारित होने के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुन सकता है ।

सरकारी वधियक बनाम नजी वधियक

सरकारी वधियक	नजी वधियक
इसे संसद में एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ।	यह मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ।
यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है ।	यह वपिक्ष की नीतियों को प्रदर्शित करता है ।
संसद में इसके पारित होने की संभावना अधिक होती है ।	संसद में इसके पारित होने के संभावना कम होती है ।
संसद द्वारा सरकारी वधियक अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है ।	इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।
सरकारी वधियक को संसद में पेश होने के लिये सात दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिये ।	इस वधियक को संसद में पेश करने के लिये एक महीने का नोटिस दिया जाना चाहिये ।
इसे संबंधित विभाग द्वारा वधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है ।	इसे संबंधित सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/demand-for-rajya-sabha-seat-to-chandigarh>